22/11/21
21/12/21

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	रजि0 न0	निर्णय दिनांक
11/33/2021	08–10–2021	2021/166	29–03–2022

1–ज्ञानप्रकाश पुत्र स्व0 रामसिंह मीना जाति मीना निवासी गंगा मन्दिर के पीछे मीना मौहल्ला गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1–ग्राम पंचायत गोविन्दगढ, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला अलवर। जर्ये सरपंच (ग्राम विकास अधिकारी)
2–उप तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर।

असल रेस्पोडेन्ट

3–नवलकिशोर पुत्र स्व0 रामसिंह मीना जाति मीना निवासी गंगा मन्दिर के पीछे मीना मौहल्ला गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर।

तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार गोविन्दगढ निर्णय दिनांक 10.03.1989 नामान्तकरण संख्या 497 ग्राम गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ।

उपस्थितः–

01. श्री सतीश चन्द जैन –वकील अपीलाण्ट 1
02 राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0 संख्या 1 और 2
03– श्री विमल जैन –वकील तरतीबी रेस्पो0 संख्या 3

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार गोविन्दगढ के निर्णय दिनांक 10.03.1989 नामान्तकरण संख्या 497 वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में

23/03/2022

दाय

वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 हाल 967/310 रकबा 0.1138 है0 साबिक खसरा न0 310 रकबा 1 बीधा 16 बिस्वा में से 9 बिस्वा स्थित ग्राम गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर जो आराजी अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पोडेन्ट नवल किशोर के कब्जे काश्त की आराजी है, जो उनके द्वारा जरिये बयनामा तहरीर दिनांक 15.06.2002 रजिस्टर्ड दिनाक 01.07.2002 को खरीद की गयी है, जिस पर आदिनांक तक काबिज रहकर काश्त कर हर प्रकार से उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है।

अपीलान्ट ने उक्त आराजी में रिहायश हेतु तीन गटृ की पाटोल डाल रखी है, तथा बाद खरीद से परिवार सहित रहवास करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट का आवागमन आराजी खसरा न0 313 रकबा 3 बीधा 8 बिस्वा गै0 मु0 रास्ता वाके ग्राम गोविन्दगढ में से होता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश कंमाक 3462–64 दिनांक 10.01.1983 के द्वारा उक्त आराजी में से एक बीधा 18 बिस्वा रकबा असल रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत गोविन्दगढ के नाम आबादी में परिवर्तन किया गया है। जिस आदेश की पालना में आलोच्य इन्तकाल संख्या 497 दिनाक 10.03.1989 को असल रैस्पोडेन्ट संख्या–2 उप तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है। असल रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत उक्त आराजी का पट्टा जारी करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय में मिन अपीलान्ट पक्षकार नही था, क्योंकि मिन अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में जानकारी होने के उपरान्त भी पक्षकार नही बनाया गया।

अपीलाधीन आज्ञा से मिन अपीलान्ट के अधिकारो पर विपरीत असर पडता है, इसलिए अपीलाधीन आज्ञा नामान्तकरण निरस्तनीय है। साथ ही निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 27.07.2020 को होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल दिनाक 17.08.2020 को तैयार होकर दिनाक 19.08.2020 को सायंकाल प्राप्त हुई। कानूनी सलाह लेकर दिनाक 26.07.2020 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी जहॉ आज्ञा प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हो वहॉ मियाद का बिन्दू गौण हो जाता है, ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। मियाद की कोई पाबन्दी नही है, ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। इस लिए आज्ञा तहत अदालत दिनाक 10.03.1989 से सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 26.07.2020 तक का समय अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा फरमाया जावे। जिसके लिए प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हल्फनामा पृथक से पेश किया गया है, तथा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का संलग्न कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करने हेतु पेश किया है।

वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में की गई बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन–अवलोकन किया गया। अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है, कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी नही थी, तथा अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था। इस लिए अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के

29/03/2022

आदेश कंमाक 3462–64 दिनाक 10.01.1983 की पालना में विवादित आराजी 313, कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से 1 बीधा 18 बिस्वा को आबादी ग्राम पंचायत गोविन्दगढ के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में ही आलोच्य आदेश नामान्तरकरण संख्या 497 दिनांक 10.03.1989 पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश की पूर्ण एवं सही पालना की गयी है। अपीलान्ट को उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा किये गये आदेश कंमाक 3462–64 दिनाक 10.01.1983 कें विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोंही करनी चाहिये थी। अतः अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है, अपील खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, अपीलाधीन उप तहसीलदार गोविन्दगढ का आदेश दिनॉक 10.03.1989 नामान्तकरण संख्या–497 वाके ग्राम गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/03/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर